रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 26, 2013/वैशाख 6, 1935
No. 205] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 26, 2013/VAISAKHA 6, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 272(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (सचिवालय सुरक्षा संगठन) (ग्रुप सी और ग्रुप डी पद) भर्ती नियम, 1978 को, जहां तक उसका संबंध कांस्टेबल के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के सचिवालय सुरक्षा संगठन में कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (सचिवालय सुरक्षा संगठन), कांस्टेबल भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, ;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कांस्टेबल	928 (2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-I 5200-20200 रु0 + ग्रेड वेतन 2000 रु0	लागू नहीं होता	18 वर्ष से कम नहीं और 23 वर्ष से अधिक नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए शिथिल की जा सकती है। __टिप्पण:-__ आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं-	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) शैक्षिक अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता। (ख)शारारिक मान: (i) ऊँचाई-पुरुष के लिए 170 से0मी0 महिला के लिए 157 से0मी0 (ii) सीना - पुरुषों के लिए बिना फुलाए 80 से0मी0 फुलाकर - न्यूनतम 5 सें0मी0 का फैलाव महिलाओं के लिए: लागू नहीं होता (iii) वजन: पुरूषों और महिलाओं के लिए : ऊँचाई और चिकित्सा मानक के अनुसार आयु के अनुपात में **टिप्पण**- गढ़वाली, कुमाऊंनी के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई नियत की जाएगी।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह ग विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय - अध्यक्ष 2. अवर सचिव, सचिवालय सुरक्षा संगठन, गृह मंत्रालय - सदस्य 3. अवर सचिव, (प्रशा0 II) गृह मंत्रालय -सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए-12012/02/2011-एस एस ओ (पीटी)]

अमरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 2 दिसम्बर, 1978 के सा.का.नि. संख्या 3 के तहत प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2013

G.S.R. 272(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Secretariat Security Organisation), (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1978, in so far as they relate to the post of Constable, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of

1660 GI/13-2

recruitment to the posts of Constable in the Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs (Secretariat Security Organisation), Constable Récruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.- The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.-No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay-band, grade pay or pay scale	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Constable	928 (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group "C" (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	PB-1 `5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2000/-	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not less than 18 years and not more than 23 years. Relaxable for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the Ex-servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Government in this regard.	(a) Educational qualification: Matriculation or equivalent qualification of a recognized Board or University. (b) Physical Standard: (i) Height - For male 170 Cms For Female -157 Cms (ii) Chest- For males Unexpanded 80 Cms expanded-minimum

1660 GI/13-3

Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep.	expansion 5 Cms. For females: Not applicable (iii) Weight: For males and females : Proportionate to height and age as per medical standards. Note 1 : Minimum height may be relaxed for candidates falling in the categories of the Garhwalis, Qumaonis.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotion.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group "C" Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Chief Security Officer, Secretariat Security Organisation, Ministry of Home Affairs - Chairman	Not applicable

	2. Under Secretary, Secretariat Security Organisation Ministry of Home Affairs - Member 3. Under Secretary, (Ad-II), Ministry of Home Affairs - Member	

[F. No. A-12012/02/2011-SSO (Pt.)]

AMARENDRA SINGH, Under Secy.

Note : Principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 3, dated 2nd December, 1978.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.